राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बैंच नंबर 3, राजस्थान, जयपुर

अपील संख्याः—777/2015

श्रीमती दीप्ती काबरा पत्नी श्री दिनेश काबरा, जाति महाजन मालिक मैसर्स वैरायटी सैल्स, स्टेशन रोड, सीकर जिला सीकर

अपीलार्थी

बनाम

01. अब्दुल कादिर पुत्र श्री मोहम्मद आमीन, उम्र 25 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 45, सीकर, राज0
02. प्रीति शर्मा प्रोसेज एवं क्वालिटी अधिकारी, सर्विस ऑपरेशन ऑफ इण्डिया प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय कॉमर्शियल प्लाजा होटल रेडीसन नेशनल हाईवे—8, महीपालपुर दिल्ली।

प्रत्यर्थीगण

समक्ष

माननीय श्री कमल कुमार बागड़ी, सदस्य (न्यायिक)

माननीय श्रीमती मीना मेहता, सदस्य

उपस्थितः—

अपीलार्थी की ओर से श्री बाबूलाल शर्मा अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई नहीं

आदेश दिनांकः—16.10.2017

द्वारा राज्य आयोग बैंच, नं.3 राजस्थान जयपुर (द्वारा श्री कमल कुमार बागड़ी, सदस्य, न्यायिक

Reportable

यह अपील श्रीमती दीप्ती काबरा की ओर से अब्दुल कादिर एवं अन्य के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी संख्या 1 से एक मोबाईल नोकिया मॉडल नंबर 681 आई एम ई आई नंबर 355660009464555 राशि 12,820/–रू. में दिनांक 30.06.2006 को खरीदा था। उक्त मोबाईल के हैण्डसेट के साथ हैड फ्री (एच.एफ.) ईयरफोन भी था। परिवादी का कहना है कि, उसके द्वारा खरीदे गये उक्त ईयरफोन दो महीने बाद ही खराब हो गया, जिसकी शिकायत उसने विपक्षी संख्या 1 से की और ठीक करने को कहा, जिस पर विपक्षी संख्या 1 ने ईयरफोन अपने पास रख लिया तथा उसे इसके स्थान पर काम चलाने के लिए दूसरा सेट हैड फ्री (एच.एफ.) दे दिया, लेकिन वह भी खराब हो गया और उसे वापिस ले लिया, जिसके स्थान पर शीघ्र नया सेट देने को कहा तथा परिवादी को दिनांक 05. 001.2007 को जो सेट दिया, वह भी दिनांक 06.02.2007 को ले लिया, जिसे ठीक कर अभी तक परिादी को नहीं दिया और न ही मोबाईल सेट को ठीक करके दिया। विपक्षी का यह कृत्य उनकी सेवा दोष की परिभाषा में आता है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया है, कि परिवादी द्वारा कयशुदा मोबाईल सेट में वारण्टी अवधि में कथित किसी प्रकार की कोई निर्माण संबंधी कमी या त्रुटि नही रही और न ही उसने उक्त अवधि में कोई शिकायत की। विपक्षी संख्या 1 का कहना है कि परिवादी द्वारा हैण्ड फ्री सेट (ईयरफोन) के संबंध में शिकायत किये जाने पर उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से परिवादी की संतुष्टि के लिये परिवादी द्वारा शिकायत किये जाने पर हैण्ड फ्री सेट प्राप्त कर कंपनी से दूसरा हैण्ड फ्री सेट प्राप्त होने तक परिवादी को निशुल्क दूसरा हैण्ड फ्री सेट उपलब्ध करवाया गया। कंपनी से परिवादी का हैण्ड फ्री सेट बदलकर आते ही परिवादी को नया हैण्ड फ्री सेट (ईयरफोन) उपलब्ध करवा कर उत्तरदाता स्वयं द्वारा उपलब्ध करवा कर ईयरफोन वापिस प्राप्त कर लिया। उक्त स्थिति के प्रकाश में भी विपक्षी संख्या 1 ने किसी प्रकार की कोई सेवा में न्यूनता कारित नहीं की गयी है।

विद्वान जिला मंच ने दिनांक 03.06.2008 को पक्षकारान को सुनने के पश्चात् निम्न आदेश पारित कियाः–

"अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विरूद्ध विपक्षीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वे परिवादी द्वारा खरीदे गये मोबाईल हैण्डसेट जिसका उल्लेख परिवाद पत्र के पैरा संख्या 4 में विस्तृत रूप से है, वह परिवादी को इस आदेश की दो महीने के भीतर ठीक करके दें। यदि हैण्डसेट ठीक नहीं होता है तो उसके स्थान पर उसी

मॉडल का दूसरा मोबाईल हैण्डसेट परिवादी को देवें और यदि उनके पास में उक्त मॉडल का हैण्डसेट उपलब्ध नहीं हो तो परिवादी को हैण्डसेट की कीमत 12,326/—रू. दिनांक 12.09.2006 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करेगें। यदि उक्त राशि उक्त अवधि में अदा नहीं की गयी तो परिवादी उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। विपक्षीगण, परिवादी को परिवाद व्यय के 1000/—रू. भी पृथक से अदा करेगें "।

परन्तु विपक्षी ने विद्वान जिला मंच के आदेश की पालना नहीं की, जिस पर परिवादी ने जिला मंच में धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिस पर विद्वान जिला मंच ने दिनांक 28.05.2015 को निम्न आदेश पारित किया।

"अप्रार्थी का यह प्रार्थना—पत्र चैक लौटाए जाने बाबत् खारिज किया जाता है और अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह चैक रि—वेलिडेट करवाकर परिवादी को एक माह में उसका भुगतान करें। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना—पत्र का निरस्तारण किया जाता है"

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विधिक प्रावधानों को देखे तो धारा 27 में निम्न प्रावधान हैः— 27. Penalties [(1)] Where a trader or a person against whom a complaint is made [or the complainant] Fails or omits to comply with any order made by the District Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, such trader or person [or complainant]shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to three years, or with fine which shall not be less than two thousands rupees but which may extend to ten thousand rupees, or with both:

27 [(2) Notwithstanding anything contained in the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the District Forum or the State Commission or the National Commission, as the case may be, shall have the power of a Judicial Magistrate of the first class for the trial of offences under this Act, and

on such conferment of powers, the District Forum or the State Commission or the National Commission, as the case may be, on whom the powers are so conferred,shall be deemed to be a Judicial Magistrate of the first class for the purpose of the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)

27 (3) All Offences under this Act may be tried summarily by the District Forum or the State Commission or the National Commission, as the case may be.]

इन प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे कम से कम एक महीने की सजा जो 3 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है या 2000/–रू. जुर्माना जो 10,000/–रू. तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों किये जा सकते है। इस अवधि के लिए जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट है तथा दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन ही काम करेगा, क्यों कि यह दाण्डिक प्रावधान है किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने के लिए सी.आर.पी. सी. में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है ना कि दीवानी कार्यवाही की तरह, क्यों कि अभियुक्त को जेल भेजने का प्रावधान है। आपराधिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध बिना युक्तियुक्त संदेह के अपराध प्रमाणित होना आवश्यक है। दीवानी प्रकिया के तहत् चेक एण्ड बैलेंस कार्यवाही नहीं होती है तथा इसी धारा में जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, चाहे तो समरी प्रोसिडिंग्स कर विचारण कर सकता है।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिला मंच, राज्य आयोग के समक्ष धारा 27 का इस्तगासा पेश हो तो किस तरीके से आगे कार्यवाही करनी चाहिए ? इस्तगासा पेश होते ही जिला मंच या राज्य आयोग को सी.आर.पी.सी. के अध्याय 15 के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए, इसमें न केवल परिवादी का परीक्षण होना चाहिए बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसी के अनुसार आगे जॉच होनी चाहिए। यदि मंच या आयोग इस्तगासा सारहीन मानता है तो धारा 203 सी.आर.पी.सी. के तहत् इस्तगासा खारिज कर सकती है। यदि मंच या आयोग कार्यवाही करना उचित समझता है, तो वह सी. आर.पी.सी. के अध्याय 16 के तहत् आगे कार्यवाही करेगा। अभियुक्त को यथासंभव सम्मन से तलब किया जायेगा मंच या आयोग चाहे तो सीधे जमानती वारन्ट से भी

तलब कर सकता है। यदि अभियुक्त बावजूद तामील के भी उपस्थित नही होता है, तो, उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट भी जारी किया जा सकता है। यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है या गिरफ्तार होकर भी उपस्थित नहीं हो रहा है तो सारी कार्यवाही सी.आर.पी.सी. के अध्याय 6 के तहत् की जायेगी। अभियुक्त के उपस्थित आने पर विचारण के दौरान उपस्थित रहने के लिए उसके जमानत मुचलके लिये जायेगें, जमानत एवं बंध पत्रों का निपटारा सी.आर.पी.सी. के अध्याय 33 के तहत् किया जायें। इसी प्रकार अभियुक्त को आरोप से उन्मुक्त या दोषमुक्त किया जायें, तो, धारा 437 A सी.आर.पी.सी. के तहत् जमानत मुचलके लिये जावें।

मंच या आयोग अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेने से पूर्व अच्छी तरह विचार कर लें कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रारम्भिक रूप से अपराध बन रहा है तथा आगे कार्यवाही करने के उचित आधार है।

जहॉ तक विपक्षी निजी व्यक्ति है उस स्थिति में यही माना जायेगा कि उसको मंच या आयोग के आदेश की सूचना है परन्तु अधिकांश मामले फर्म, कम्पनी, निगम के विरूद्ध होते है इसमें मंच को पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की जा रही है, उसको आदेश की सूचना है या नहीं ? यथा संभव परिवादी को चाहिए कि वो जिस व्यक्ति से आदेश की पालना कराना चाहता है उसे लिखित में 15 दिन का निजी रूप से नोटिस देवें ताकि उसे ज्ञान हो जाये कि मंच या आयोग के आदेश की पालना करनी है।

अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित हो जाने के पश्चात् मंच या आयोग को सर्वप्रथम यह आदेश पारित करना चाहिए कि वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 (3) के तहत् समरी प्रोसिडिंग्स करेगा या वारण्ट मामलों की प्रोसिडिंग्स करेगा। यदि मंच या आयोग संक्षिप्त विचार चाहते है तो, सी.आर.पी.सी. के अध्याय 21 के तहत् आगे कार्यवाही करेगा। यदि संक्षिप्त प्रकिया विचारण नहीं करना चाहता है तो, सी.आर.पी.सी. के अध्याय 19:–ख के तहत् कार्यवाही करेगा। अभियोजन साक्ष्य पूरी हो जाने के पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत् परीक्षित किया जायेगा तथा उसके पश्चात् उसे साक्ष्य सफाई का अवसर दिया जायेगा, उसके पश्चात् पक्षकारान की बहस सुनकर सी.आर.पी.सी. के अध्याय 27 के तहत् निर्णय पारित किया जायेगा। अभियुक्त को धारा 27 (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार दण्डित भी किया जा सकता है तथा धारा 360 या परिवीक्षा अधिनियम के तहत् परिवीक्षा का लाभ भी दिया जा सकता है। यदि अभियुक्त को दण्डित किया जायें तो, धारा 27 (ए) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान निम्न प्रकार है :–

[27A. Appeal against order passed under section 27 (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974), an appeal under section 27, both on facts and on law, shall lie from-

(a) the order made by the District Forum to the State Commission;

(b) the order made by the state commission to the National Commission; and

(c) the order made by the National Commission to the Supreme Court.

27 (2) Except as aforesaid, no appeal shall lie to any court from any order of a District Forum or a State Commission or the National Commission.

27 (3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of an order of a District Forum or a State Commission or, as the may be, the National Commission:

Provided that the State Commission or the National Commission or the Supreme Court, as the case may be, may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if, it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of thirty days.]

चूंकि अपील का प्रावधान है धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिकतम सजा 3 वर्ष है इसलिए अभियुक्त का अपील करना अधिकार है। अपील के प्रावधान दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 29 के तहत् किये जायेगें।

विचारण मंच या आयोग को एक माह के लिए सजा निलम्बित कर दी जानी चाहिए उसके पश्चात् यदि अपील न्यायालय सजा निलम्बित करती है, तो उसी के

अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए यदि निलम्बित नहीं करती है तो सजा वारण्ट यानि अभियुक्त को जेल भेजने की कार्यवाही करनी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विद्वान जिला मंच सीकर ने जो आदेश पारित किया है। वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत सारहीन, आधारहीन है।

अतः जिला मंच सीकर का आदेश दिनांकित 28.05.2015 अपास्त करके आदेश दिया जाता है उपर वर्णित प्रकिया के तहत् आगे कार्यवाही करें। इस आयोग के रजिस्ट्रार को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक–एक प्रति सभी जिला मंचों को भेजी जायें तथा उन्हें आदेश दिया जायें कि धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मामले में इसी अनुसार कार्यवाही करें।

परिवादी जिला मंच के समक्ष दिनांक 20 नवम्बर 2017 को उपस्थित होकर आगामी कार्यवाही करें।

मीना मेहता

(मीना मेहता)
सदस्य

(कमल कुमार बागड़ी)
सदस्य (न्यायिक)

/पाठक/